सूचना क अधिकार
RIGHT TO INFORMA

Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *55/2014*

श्री गिरधारी सिंह.....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री गिरधारी सिंह– (अनुपस्थित)

(2) उत्तरदाता–डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,बीकानेर।(उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती दिनांकः 21.07.2014
(ii) निर्णय दिनांकः 20.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी श्री गिरधारीसिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक एफ. (441)राजूवास/रजि./आरटीआई/2014/238 दिनांक 03.07.2014 से प्रत्युतर प्रेषित किया जाकर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2014 एवं कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युतर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना	लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 14.07.2014 से प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण
1	दिनांक 07.07.2013 को वेटरनरी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल, बीकानेर में छात्रा मीनू चौधरी की मृत्यु के कारणों की जॉच के लिये कॉलेज द्वारा गठित कमेटी की जॉच रिपोर्ट की प्रति मय संबधी दस्तावेज दिलावें।	प्रकरण में विभागीय स्तर पर कार्यवाही लम्बित होने तथा अपराधिक प्रकरण अन्वेक्षणाधीन होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (h) के प्रावधानों अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।

सुनवाई हेतु निर्धारित की गई। अपीलार्थी को नोटिस क्रमांक 259 दिनांक 26.07.2014 प्रेषित कर सुनवाई दिनांक 20.08.2014 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा लिखित कथन दिनांक 09.08.2014 प्रेषित किया गया जो दिनांक 20.08.2014 को विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए, जिन्हें की अभिलेख पर लिया गया। सुनवाई दिवस पर उतरदात्ता डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिशः उपस्थित हुए।

अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील प्रार्थना पत्र तथा लिखित कथन में अपीलार्थी ने मुख्यतः यह आधार प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा वेटरनरी गर्ल्स हॉस्टल में हुई छात्रा मीनू चौधरी की मृत्यु के तथ्यों की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट चाही गयी थी जो कि धारा 8 (1)(h) के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया गया। जबकि पुलिस द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के गर्ल्स हॉस्टल हत्याकांड में बाद अनुसंधान चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा न्यायालय में दो गवाहों के बयान भी हो चुके है अतः अन्वेषणाधीन होने के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाना अवैधानिक है। इसके विपरित डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी ने मेरे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया गया कि प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है तथा विश्वविद्यालय को यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। डॉ. राव ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे है ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों को कठोर सजा दिए जाने से ही अपराधियों में कानून का भय स्थापित होगा। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोक प्राधिकारी की कार्य पद्धति में पारदर्शिता और उतरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए तथा लोक अधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना अवश्य है लेकिन अधिनियम का यह उद्देश्य कतई नहीं है कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध करवाई जावे जिससे अभियुक्तों को लाभ पहुचें। अपीलार्थी द्वारा छात्रा मीनू चौधरी की मृत्यु के कारणों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कमेटी की रिपोर्ट चाही जा रही है तथा छात्रा मीनू चौधरी की हत्या की गयी थी जिसके संबंध में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया तथा साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर भी मृत्यु के कारणों की जॉच हेतु कमेटी गठित की गयी थी तथा कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संबंध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से छात्रा मीनू चौधरी के साथ हुए अपराध से हो सकता है अतः इस रिपोर्ट की प्रति दिए जाने से अभियुक्त को लाभ प्राप्त हो सकता है। इस कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ. राव ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यदि अपीलार्थी के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जाये कि गर्ल्स हॉस्टल, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर हत्याकांड में चालान प्रस्तुत हो चुका है तो भी प्रकरण निर्णित नहीं हुआ है अपितु सक्षम न्यायालय में साक्ष्य हेतु लम्बित है। धारा 8 (1)(h) केवल अन्वेषण के संबंध में ही नहीं अपितु सूचना जिससे अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन प्रक्रिया (Process of Prosecution) की क्रिया में अड़चन उत्पन्न हो, को प्रकट नहीं किये जाने का भी प्रावधान है। अपीलार्थी ने स्वयं सहित किया है कि प्रकरण न्यायालय

मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, लिखित कथन तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। मेरे मत में अपीलार्थी के इस कथन पर संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी के इस कथन का प्रतिकार नहीं किया गया है लेकिन साथ ही लोक सूचना अधिकारी के इस तर्क को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 03.07.2014 प्रेषित किए जाने तक विश्वविद्यालय को यह संसूचित नहीं था कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के गर्ल्स हॉस्टल हत्याकांड प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया जा चुका हैं। अतः तत्समय विश्वविद्यालय अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर विधिसमत है। जहॉ तक अपीलार्थी द्वारा अपील में चालान प्रस्तुत किए जाने का तथ्य अंकित किये जाने का संबंध है प्रकरण में अंतिम रूप से विनिश्चिय किए जाने से पूर्व धारा 8 (1)(h) उद्धरित की जानी आवश्यक है :–

धारा 8 (1) (h) :– सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन रहेगी :

मेरे मत में धारा 8 (1)(h) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई सूचना जिसके प्रकट किए जाने से अभियोजन की प्रक्रिया (Process of Prosecution) में अड़चन होगी प्रकट नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क अनुसार प्रकरण अभी भी न्यायालय में लम्बित है तथा निर्णय नहीं पारित किया गया है अर्थात् अभियोजन प्रक्रिया लम्बित है अतः मेरे मत में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युतर विधि सम्मत है। इसके अलावा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे है। ऐसी स्थिति में अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने के लिए दाण्डिक कार्यवाही आवश्यक है। सूचना का अधिकार लोक प्राधिकारियों की कार्य पद्धति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्य लागू किया गया है लेकिन धारा 8 के प्रावधान लागू किए जाने के पीछे विधान मण्डल की मंशा स्पष्ट है कि ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जावे जिसका पारदर्शिता से कोई प्रत्यक्षता संबंध नहीं है। मेरा मत है कि वांछित सूचना प्रकट किए जाने से अभियुक्त को लाभ प्राप्त हो सकता है जो कि राष्ट्र एवं समाज के हित में नहीं होगा अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में दिनांक 20.08.2014 को सुनाया गया।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER